


24/9/20

अधिवक्ता अपीलान्त उप.। अधिवक्ता अपीलान्त ने यह
कथन किया कि वह उक्त अपील को भागे चलाता नहीं
चाहते व न ही किसी प्रकार की कोई आग्रह करवाही
करवाना चाहते हैं। अतः उक्त अपील को जसिये नोटिफिस
आरिज फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्त के कथन के आधार
पर उक्त अपील को नोटिफिस आरिज किया जाता है।
पत्रावली फेंसल शुमार दोहर बाद आवश्यक कार्यवाही सम्बन्ध
दफ्तर में

दफ्तर में 

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Not Recd
2
Jain